# झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

**बी0 ए0 संख्या–29 / 2020**

मुकुन्द दास .... .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... .... विपक्षी पक्ष

**कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय**

याचिकाकर्त्ता के लिए: श्री सुधांशु कुमार देव, अधिवक्ता।

विपक्षी पक्ष के लिए : श्री रवि प्रकाश, विशेष पी0पी0।

02 / 15.01.2020 श्री सुधांशु कुमार देव, याचिकाकर्त्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता और श्री रवि प्रकाश, राज्य की ओर से विद्वान विशेष पी0पी0 को सुना।

याचिकाकर्त्ता को 2019 के साइबर थाना काण्ड संख्या 71 के संबंध में आरोपी बनाया गया है।

याचिकाकर्त्ता के घर से मोबाइल फोन और पास बुक आदि बरामद किए गए। आरोप है कि याचिकाकर्त्ता साइबर अपराध में शामिल है।

याचिकाकर्त्ता के अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्त्ता का कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। याचिकाकर्त्ता 18.11.2019 से हिरासत में है।

उपरोक्त के संदर्भ में, उपरोक्त याचिकाकर्त्ता को 10,000 / – (दस हजार) रू0 के बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर एवं विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, देवघर के संतुष्टि पर साइबर थाना काण्ड संख्या 71 / 2019 में

छोड़ने का आदेश दिया जाता है वशर्ते कि याचिकाकर्त्ता विचारण की समाप्ति तक, विचारण न्यायालय में प्रत्येक तिथि को शारीरिक रूप से उपस्थित रहेंगे और एक जमानतदार सरकारी सेवक होना चाहिए।

ह0

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)